


राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक:—मुसप्र/2011/1198/1731


दिनांक:—18-10-11

कार्यालय आदेश

आवासन मण्डल की कुडी भगतासनी योजना, जोधपुर के सेक्टर-7 में द्वारकापुरी योजनान्तर्गत निर्मित 432(जी+3) फ्लेट्स की अंतिम लागत, जोकि बरिष्ठ लेखाधिकारी के पत्रांक: एफ-2(3)लागत/877(ii)/615 दिनांक 14.02.2011 के द्वारा निर्धारित है तथा कार्यालय आदेश क्रमांक: मुसप्र/2011/1198/1394 दिनांक 30.08.2011 के द्वारा इसकी वैधता अवधि दिनांक 30.09.2011 तक बढ़ाई गई थी, को एतद्वारा दिनांक 30.12.2011 तक बढ़ाई जाती है।


(पवन कुमार गोयल)
आवासन आयुक्त

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव-अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
 2. निजी सचिव-आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
 3. मुख्य अभियन्ता/सचिव/ वित्तीय सलाहकार, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
 4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-प्रथम/द्वितीय/तृतीय/पीएण्डएम/निदेशक विधि/ तकनीकी सहायक-आवासन आयुक्त/जनसम्पर्क अधिकारी, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
 5. उप आवासन आयुक्त, वृत्त-प्रथम, राजस्थान आवासन मण्डल, जोधपुर।
 6. आवासीय अभियन्ता, खण्ड-चतुर्थ, राजस्थान आवासन मण्डल, जोधपुर।
 7. रक्षित पत्राकली।
8.  सहायक कम्प्यूटर प्रोग्रामर, RHB को प्रेषित कर लेख है कि कार्यालय आदेश वेबसाइट पर डलवाये।


मुख्य सम्पदा प्रबन्धक